कम्प्यूटर परिपत्र सं० 1415005 दि० 24-4-2014

पत्र सं0-सी.सी.टी.-निरी0अनु0/2014-15/आ0क0नि0आदेश/ 51 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर
(निरीक्षण अनुभाग)
उत्तर प्रदेश
लखनऊ:: दिनांक: 24 अप्रैल, 2014

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक)
<u>वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश</u>

आप सभी भिज्ञ हैं कि कर निर्धारण कार्य वाणिज्य कर विभाग का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि इसी से उस माँग का सृजन होता है जो व्यापारी के स्वीकृत कर से भिन्न होती है और विभाग को इस परिप्रेक्ष्य का राजस्व प्राप्त होता है। विगत वर्षों में यह अनुभव हुआ है कि विभागीय अधिकारियों द्वारा पारित किए जाने वाले कर निर्धारण आदेशों में गुणात्मक दृष्टि से काफी सुधार अपेक्षित है।

उपर्युक्त के दृष्टिगत यह निर्देश दिए जाते हैं कि कर निर्धारण कार्य में कार्यरत डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेंट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी द्वारा वर्ष 2013-14 में पारित 05 सबसे अच्छे कर निर्धारण आदेशों तथा वर्ष 2014-15 में प्रत्येक त्रैमास में पारित दो सबसे अच्छे कर निर्धारण आदेशों की समीक्षा टिप्पणी इसके विवरणों सहित आन लाइन अंकित करने का कार्य संबंधित संभाग के ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) द्वारा किया जाएगा तथा ज्वाइंट कमिश्नर (कारपोरेट सर्किल) के द्वारा द्वारा वर्ष 2013-14 में पारित 05 सबसे अच्छे कर निर्धारण आदेशों तथा वर्ष 2014-15 में प्रत्येक त्रैमास में पारित दो सबसे अच्छे कर निर्धारण आदेशों की समीक्षा टिप्पणी इनके विवरणों सहित विभागीय वेबसाइट पर आन लाइन अंकित करने का कार्य जोनल एडीशनल कमिश्नर द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार अपलोड की गयी गुणात्मक दृष्टि से अच्छे पारित कर निर्धारण आदेशों से संबंधित समीक्षा टिप्पणियाँ निश्चय ही कर निर्धारण अधिकारियों के लिए संबंधित प्रकरणों के परिप्रेक्ष्य में बेहतर आदेश पारित करने हेतु सहायक होंगी।

जोनल एडीशनल कमिश्नर तथा ज्वांइट कमिश्नर कार्यपालक द्वारा निम्न बिन्दुओं का विचारण अच्छे कर निर्धारण आदेशों के चयन हेतु किया जाना उचित होगा -

(1) ऐसे आदेश जिनमें व्यापारी द्वारा लेखापुस्तकों के बाहर संव्यवहार किए जाने के तथ्यों की विवेचना उचित साक्ष्यों सहित प्रभावशाली ढंग से की गयी हो।

(2) ऐसे आदेश जिनमें व्यापारी द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावों को प्रभावी जाँच कार्यवाही से अस्वीकार करते हुए तथ्यों का उल्लेख किया गया हो।

(3) ऐसे आदेश जिनमें व्यापारी की निर्माण प्रक्रिया की विवेचना करते हुए प्रयुक्त कच्चे माल . कन्ज्यूमेबिल्स , पैकिंग मैटीरियल्स , फ्यूल/विद्युत प्रयोग आदि की विसंगतियों के आधार पर निर्माण के आंकड़ों को अस्वीकार करने हेतु सशक्त आधारों का उल्लेख करते हुए कार्यवाही की गयी हो।

(4) ऐसे आदेश जिनमें व्यापारी के दर्शाये जा रहे करमुक्त संव्यवहारों , स्टाक ट्रांसफर /कन्साइनमेंट आधार पर बिक्री आदि को अस्वीकार करने के पूर्व इन दावों को अस्वीकार करने संबंधी ठोस तथा सशक्त आधारों का उल्लेख करते हुए कार्यवाही की गयी हों।

mm

(5) ऐसे आदेश जिनमें त्रुटिपूर्ण फार्मों के आधार पर करमुक्ति/रिआयती दर से करदेयता का लाभ लेने का प्रयास किए गया हो और कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जाँच पर ऐसे तथ्य प्रकाश में लाए गए हों तथा ऐसी जाँच का समुचित उल्लेख पारित आदेश में कारण सहित किया गया हो।

(6) विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध सूचनाओं का प्रभावी ढंग से उपयोग करते हुए संबंधित व्यापारी द्वारा वास्तविक विक्रयधन छिपाने के तथ्यों का आंकलन किया गया हो तथा पारित कर निर्धारण आदेश में इनका प्रभावी उपयोग करते हुए व्यापारी के संबंध में विधिसम्मत करदेयता निर्धारित की गयी हों।

(7) स्वविवेक से अन्य किन्हीं समुचित कारणों के आधार पर अथवा व्यापारी के संबंध में विभिन्न स्रोतों से प्रतिकूल सूचनायें एकत्रित करते हुए प्रभावी कार्यवाही की गयी हो तथा पारित कर निर्धारण आदेश में इनका समुचित उपयोग करते हुए माँग सृजित की गयी हो।

यह अपेक्षा रहेगी कि एकपक्षीय रूप से पारित आदेशों का समावेश अच्छे पारित कर निर्धारण आदेशों के चयन में न किया जाए।

यह भी अवगत कराना है कि अच्छे पारित कर निर्धारण आदेशों के संबंध में समीक्षा टिप्पणी तथा विवरण आन लाइन अंकित करने हेतु एक मॉड्यूल तैयार किया गया है जो विभागीय वेबसाइट comtax.up.nic.in पर उपलब्ध है। इसके संबंध में निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है -

(1) Entry कार्य के लिए संबंधित Module में ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) तथा जोनल एडीशनल कमिश्नर के User उपलब्ध है जिनके द्वारा स्वयं अथवा Data Entry Operator की सहायता से विवरणों की Entry की जा सकती है। Data Entry Operator की सहायता से विवरणों की Entry किये जाने की दशा में सम्बन्धित ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) अथवा सम्बन्धित जोनल एडीशनल कमिश्नर द्वारा इन Entries को Approve किया जाना अनिवार्य होगा। Entry कार्य में सुविधा के लिए Data Entry Operator के User की सुविधा भी Module में उपलब्ध है।

(2) Entry करने के लिए विभागीय वेवसाइट पर Assessment Order Entry लिंक पर Click किया जायेगा। इसके पश्चात् Data Entry Operator, ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) अथवा जोनल एडीशनल कमिश्नर User Type के Dropdown फील्ड से Login करने वाले की प्रास्थिति को Select किया जायेगा। इसके बाद Zone तथा Range को Dropdown से Select किया जाएगा।तदोपरान्त Password को Enter करने के पश्चात Login किया जायेगा।

(3) Login करने के पश्चात् Main Menu Screen में Entry of Assessment Order, Updation तथा Report के विकल्प उपलब्ध होगें।

(4) Menu Screen में Entry of Assessment Order पर Click करके Dealer TIN अंकित किया जायेगा। TIN अंकित करने पर फर्म का नाम तथा उसका कर निर्धारण कार्यालय Data Base से अंकित हो जायेगा। इसके पश्चात् निम्न फील्ड्स अंकित की जायेगीं :-

(i) Name of Assessing Authority

(ii) Designation of Assessing Authority

(iii) Assessment Year

(iv) Date of Assessment Order

(v) Declared Turnover (in lacs)

(vi) Admitted Tax (in lacs)

(vii) Assessed Turnover (in lacs)

(viii) Assessed Tax (in lacs)

(ix) Net Demand (in Lacs)

(x) Grounds for Rejecting Accounts

(xi) Recovered Demand (in lacs)

(xii) Comments By Zonal Additional Commissioner / Joint Commissioner (Executive)

(5) उक्त Entries को अंकित करके Submit करने पर समस्त Entry नीचे Grid में Display हो जाएगीं।

(6) नए व्यापारी के संबंध में टिप्पणीं अंकित करने के लिए Add बटन पर Click करके उपरोक्तानुसार विवरण अंकित किया जा सकता है।

(7) Module में अंकित किये गये विवरण को Edit करने के लिये Updation बटन पर Click किया जायेगा। इसके बाद Dropdown से Region को Select करने पर समस्त अंकित विवरण Editing के लिए उपलब्ध हो जायेगें। Grid के प्रथम Column में Click करने पर समस्त अंकित विवरण Entries Edit करने के लिये उपलब्ध हो जायेंगे।

(8) Entries को Edit करके Update बटन पर Click करके Entries को Save किया जा सकता है।

(9) उक्त Entries ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) अथवा जोनल एडीशनल कमिश्नर द्वारा स्वयं भी की जा सकती हैं। Data Entry Operator (DEO) द्वारा की गयी Entries को ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) अथवा जोनल एडीशनल कमिश्नर द्वारा Approve किया जाना आवश्यक है। इसके लिये Updation के बटन पर Click किया जायेगा। जिस Entry को Approve करना है, उसके प्रथम Column में Click करने पर जिस Entry का Approval करना है वह Editable Mode में open हो जायेगी। इस विवरण की जॉच करके Approve बटन पर Click करके विवरण को Approve किया जायेगा। ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) अथवा जोनल एडीशनल कमिश्नर द्वारा Approval के पश्चात् Entry Edit नहीं की जा सकेगी।

उक्तानुसार प्रक्रिया के अनुसार वर्ष 2013-14 में पारित अच्छे आदेशों की समीक्षा टिप्पणीं तथा विवरण अपलोड किए जाने का कार्य 15 जून, 2014 तक तथा वर्ष 2014-15 के प्रत्येक त्रैमास में पारित आदेशों के संबंध में समीक्षा टिप्पणीं तथा संबंधित विवरण अपलोड करने का कार्य संबंधित त्रैमास की समाप्ति पर उसके अनुवर्ती माह की अंतिम तिथि तक प्रत्येक दशा में निष्पादित कर लिया जाए।

तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

23.4.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश